

हिमाचल प्रदेश सरकार,  
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए (1)2/2019-वि/पु0

शिमला-171009 दिनांक 06/11/2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, माननीय उच्च न्यायलय द्वारा CWP No. 4749/2020 पर दिए गए निर्णय के दृष्टिगत इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019-वि/पु0-62004-08 दिनांक 03.10.2020 जिसके तहत विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-59535-567 दिनांक 15.09.2020 द्वारा अधिसूचित ग्राम सभा नथान विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू के विभाजन तथा नई ग्राम सभा लरांकैलों के गठन को निरस्त किया गया है, को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा नथान दिनांक 15.09.2020 को अधिसूचित अधिसूचना अनुसार यथावत स्थिति में रहेगी।

आदेश द्वारा  
सचिव (पंचायती राज)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दिनांक 06/11/2020

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त - 643-647 शिमला-171009  
प्रतिलिपि सेवा में :-

1. उपायुक्त, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
2. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
4. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत नथान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
5. ई-राजपत्र।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।